राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक – F9 (1)(7) III-A\Elec.\M-1-EVM\2020-21\4397 दिनांक – 29.11.2020

प्रेषक – मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति – बालाजी ट्रांस्पोर्ट कान्ट्रेक्टरर्स
36. मातृ कृपा, अग्रसेन कॉलोनी
ब्यावर, अजमेर, 305901

विषय – जिला निर्वाचन कार्यालयों से अनुपयोगी एवं अप्रचलित ईवीएम मशीनस के व्ययन हेतु मशीनस BEL नवी मुम्बई भिजवाने के लिए ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी की सेवाओं के सम्बन्ध में।

प्रसंग – विभागीय निविदा क्रमांक 4062 दिनांक 26.10.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के जिला निर्वाचन कार्यालयों से अप्रचलित लगभग 84567 ईवीएम मशीनस को व्ययन (डिसपोजल) हेतु, निविदा में निर्धारित स्पेशिफिकेशनस के लगभग 60 कंटेनर/ट्रक में ड्राइवर एवं हेल्पर के उपलब्ध कराए जाएगे, साथ ही उक्त मशीनस को BEL नवी मुम्बई तक पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में उपरोक्त निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर एवं तदुपरांत नेगोशिएटेड दर राशि रू 2549999 + जीएसटी (अक्षरे राशि रू पच्चीस लाख उनचास हजार नौ सौ निन्यान्वे) पर आपकी फर्म को कार्यादेश दिया जा रहा है। कृपया अनुबंध हस्ताक्षर कर एक दिवस में प्रेषित करावें। कार्यादेश निम्नलिखित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार दिया जा रहा है –

1. निविदा प्रपत्र में दिए गए जिला निर्वाचन कार्यालयों एवं संख्यां अनुसार ट्रांस्पोर्टेशन का कार्य किया जाएगा। एम 1 ईवीएम मशीनस बीयूसीयू की स्पेशिफिकेशनस भी स्पष्ट रूप से दी गयी है। (संलग्न)

2. फर्म को दी गयी सूची अनुसार समस्त जिला कार्यालयों से सम्पर्क कर कार्य सम्पादन करना होगा।

3. फर्म को जिला कार्यालयों से एम 1 ईवीएम मशीनस के ट्रांस्पोर्टेशन हेतु समय सारणी एवं अवधि के निर्देश उपलब्ध कराये जा रहे है। (संलग्न)

4. निविदा प्रपत्र में दिए हुए निर्देशों, उक्त कार्यादेश एवं अनुबंध अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। निर्वाचन विभाग द्वारा कार्य संपादन हेतु दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

5. निविदा अनुसार सभी वाहनो में जीपीएस उपलब्ध होगा एवं फर्म द्वारा प्रति वाहन जीपीएस रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।

6. जिला निर्वाचन कार्यालयों को मशीनों की संख्या के संबंध में प्राप्ति रसीद फर्म द्वारा दी जाएगी जिसकी प्रति फर्म के पास भी उपलब्ध रहेगी। BEL नवी मुम्बई से फर्म द्वारा मशीनस की प्राप्ति रसीद ली जाएगी। उक्त दोनों प्राप्ति रसीद निर्वाचन मुख्यालय को आवश्यकतानुसार उपलब्ध की जाएगी।

29/XI/20

7. दी गयी मशीनों एवं बाक्स की संख्या घटाई या बढाई जा सकती है।

8. आवश्यकतानुसार फर्म निर्वाचन विभाग मुख्यालय के नोडल अधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से सामंजस्य स्थापित करते हुए सम्पर्क में रहेगी ताकि यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निस्तारण किया जा सके।

9. निविदानुसार फर्म को टोल टैक्स राशि रसीद/अदायगी प्रस्तुत करने पर एवं लेबर चार्जेज (यदि फर्म द्वारा वहन किए जाते है) अतिरिक्त रूप से देय होगे।

10. निर्धारित अवधि पर कार्य सम्पन्न नही होने पर निविदा प्रावधान अनुसार शास्ति देय होगी।

11. इस संबंध में संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों को भी निर्देशन दिए जा रहे है जिसकी प्रति फर्म को उपलब्ध करायी जाएगी।

22|XI|20

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपि – F9(17)(7) III A/Elect/M1-EVM/2020-21/4397 दिनांक :- 24/11/20

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं शासन सचिव, निर्वाचन विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, सचिवालय, जयपुर
3. विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग, सचिवालय, जयपुर
4. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. BEL नवी मुम्बई कार्यालय
6. लेखाशाखा
7. स्टोरशाखा

वित्तीय सलाहकार